

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
संशोधन आदेश

भोपाल, दिनांक 20/08/2020
फा.क्रं-3310/21-ब(दो)/2020, राज्य शासन, एतद् द्वारा पूर्व में जारी किये गये इस विभाग के आदेश क्र. 3298/21-ब(दो) दिनांक 19.08.2020, में उल्लिखित शब्दों "पूर्व के समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुये" के स्थान पर शब्द "इस विभाग के आदेश क्र. 2309/21-ब(दो) दिनांक 05.04.2019 तथा 4783/21-ब(दो) दिनांक 09.09.2019 द्वारा नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति को स्थिर रखते हुये", प्रतिस्थापित करता है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20/08/2020

पृ. क्र. 3310/21-ब(दो)

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर.
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी / टी.एम. प्रथम, म.प्र. ग्वालियर.
3. समस्त संबंधित अधिवक्ता द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर.
4. अनुभाग अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / अवर सचिव महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर / ग्वालियर की ओर सूचनार्थ, इस उल्लेख के साथ कि पैनल अधिवक्ताओं को शुल्क का भुगतान विधि विभाग के आदेश क्र. 17(ई)258/2013/21-ब(दो) दिनांक 11.07.13 के अनुसार किया जा सकेगा.
5. आपराधिक शाखा, सिविल शाखा, याचिका शाखा, बजट शाखा, स्थापना शाखा, आई.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग